सुखदेव सिंह आदि बनाम अवतार सिंह आदि
अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए नम्बर 23 सन् 2014

तामिल हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.02.20	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्तागण उपस्थित। प्रार्थीगण सुखदेव सिंह पुत्र बचन सिंह जाति जटसिख निवासीगण रडेवाला तहसील श्री करणपुर आदि के द्वारा पेश प्रार्थना पत्र में चाहे गए रास्ते के सम्बन्ध में दिनांक 18.02.2020 को सुबह 11:00 बजे मौका निरीक्षण किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य सबूत व मौका निरीक्षण में पाया गया कि प्रार्थीगण द्वारा जिस रकबा के लिए रास्ता की मांग की गई है। वह रिपोर्ट तहसीलदार श्री करणपुर के अनुसार खाता संख्या 5 में मु.न. 3, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 36, 37, 39, 57/2, 57/7, 57/13 की कुल 62.228 हैक्टर भूमि में से प्रार्थीगण राम सिंह, गुरतेज सिंह, सुखदेव सिंह पिसरान बचन सिंह बहिस्सा बराबर 1.328 हैक्टर नहरी भूमि मुर्शतका खाता में दर्ज है। मुर्शतका खाता की भूमि के प्रत्येक इंच पर प्रत्येक सहकाश्तकार का कब्जा काश्त माना जाता है। अतः प्रार्थीगण अपनी भूमि का अलग से खाता विभाजन करवाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम संख्या 18 से 21 के तहत रास्ता ले सकते है। यदि प्रार्थीगण को खाता विभाजन होने पर भी रास्ता नहीं मिलता है तो वह पुनः नया प्रार्थना पत्र पेश कर सकते है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने पर खारिज किया जाता है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली निर्णीत होकर नम्बर से कम हो। (मूलचन्द लूणिया) उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर	

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

Scanned with CamScanner